

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14	स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।	नहीं ।
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है	हां ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	प्रस्ताव निदेशक रायपुर द्वारा की गयी प्रस्ताव से संबंधित व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संरक्षक को स्वीकृत किया है।

दिनांक:- 31/3/17
स्थान m b o l .

हस्ताक्षर
नाम (अमरजीव ठाकुर)
वन संरक्षक एवं प्राथमिक निदेशक
सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक 2693 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 31 मार्च, 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में रामपुर-शाहबाद (एम0डी0आर0 -53) किमी0 14.531 की दांयी पटरी पर ग्राम पटवाई तह0 शाहबाद के गाटा सं0 450 में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.079 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या-1929/14-1, दिनांक 30-03-2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर में रामपुर-शाहबाद (एम0डी0आर0 -53) किमी0 14.531 की दांयी पटरी पर ग्राम पटवाई तह0 शाहबाद के गाटा सं0 450 में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.079 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा विषयक क्रम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 2 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक - 2 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।